# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 01 / 2025

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र श्री पांचूलाल, जाति धाकड़ निवासी रींझया, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :— 1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक— 19.02.2025**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 08.04.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रींझया तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.32 है., किस्म—गैर मुम. खाल पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 08.04.2022 को निर्णय पारित कर 160 / —रूपये शास्ति आरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का उक्त भूमि या अन्य किसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं का अवसर नही दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.02.2022 को अपीलांट को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया लेकिन विधिवत तामील नहीं होने के कारण अपीलांट को अनुपस्थित मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी जारेला का बयान भी छपे हुए परफोर्मा पर लिया है जो बयान की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2022 प्रकरण संख्या 36 / 2022 निरस्त फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट *का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर* है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2022 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2077 फसल रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 32/2021 निर्णय दिनांक 10.03.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 508 रकबा 0.32 है0 किस्म गैर मुम. खाल ग्राम रींझया पर सम्वत् 2077 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

न्यायालय जिला कलेक्टर

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:33 IST
Reason: SelfAttested